# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या 34/2017**

A8/1

1. विजयपाल उर्फ लूणाराम पुत्र स्वर्गीय श्री बद्रीराम जाति जाट उम्र 63 वर्ष, निवासी गावं मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद मकान नम्बर 09, देवनगर, श्रीगंगानगर (राज.)

— — वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)
2. रामप्रताप } पिसरान स्व. श्री बद्रीराम जाति जाट निवासीयान गांव मिर्जेवाला
3. मदनलाल } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. श्रीमती मोहनी देवी (पुत्री स्व. श्री बद्रीराम) पत्नी श्री बलराम जाति जाट, गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती चन्दो देवी (पुत्री स्व. श्री बद्रीराम) पत्नी श्री साहबराम जाति जाट, गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमती शारदा देवी (पुत्री स्व. श्री बद्रीराम) पत्नी नन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट कनवानी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. महेन्द्रपाल } पिसरान स्व. श्री देवीलाल जाति जाट निवासीयान गांव मिर्जेवाला
8. सुभाष } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

**–:: निर्णय ::–** दिनांक :– 08.04.2017

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 28/25 के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 27 की कुल 13.461 हैक्टयर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 2. 023 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के नाम (लूणाराम पुत्र बद्रीराम) से दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है।

चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के पिताजी बद्रीराम पुत्र चुनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए विभाजन के इन्तकाल संख्या 35 दिनांक 23.03.1975 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त विभाजन मे वादी का घरेलू नाम "लूणाराम" अंकित कर दिया । जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज्ज, आधार कार्ड, पहचान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में वादी का नाम ''विजयपाल'' अंकित है । वादी का कृषि भूमि रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी मतदाता पहचान, राश्न कार्ड, आधार कार्ड आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित ''लूणाराम पुत्र बद्रीराम'' एवं ''विजयपाल पुत्र बद्रीराम'' वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है । इन्तकाल संख्या 35 दिनांक 23.03.1975 की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज व ड्राईविंग लाईसेंस की प्रतियां संलग्न वाद पत्र है ।

वादी ने दिनांक 08.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को वादी के भाई तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 वादी की बहने तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादी के मृतक भाई देवीलाल के पुत्र होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है।

लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 28/25 के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 27 की कुल 13.461 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी (लूणाराम पुत्र बद्रीराम) के नाम दर्ज 2.023 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर ''विजयपाल पुत्र बद्रीराम 2.023 हैक्टर अंकित करने के आदेश दिये जावे''।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 07.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के होने के कारण औपचारिक पक्षकार है तथा वाद पत्र में अंकित भूमि में प्रथम पक्ष के नाम में हुई त्रुटी को दुरूस्त करने से पक्षकारान के हक व हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम ''लूणाराम'' को दरूस्त कर ''विजयपाल'' करने के आदेश पारित किये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार ........... 3

जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकित ''लूणाराम'' व दुरूस्त किए जाने वाला ''विजयपाल'' नाम एक ही व्यक्ति के है तथा द्वितीय पक्ष के भाई का नाम है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण का वाद पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

## –:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 28/25 के मुरब्बा नम्बर 24, 25, 27 की कुल 13.461 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी (लूणाराम पुत्र बद्रीराम) के नाम दर्ज 2.023 हैक्टयर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर ''विजयपाल पुत्र बद्रीराम 2.023 हैक्टर अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर